

1 $\frac{5}{25}$

पत्रावली पार्थी गिरवर सिंह जारिये अधिवक्ता
भंवर सिंह शेखावत के मिसल तलबी
आवेदन पर पेश हुई। पार्थी ज्वरीश
पुसाद गिरवर सिंह ने जारिये अधिवक्ता
आवेदन बाबत विड्रो पेश कर निवेदन
किया कि उक्त पुरान में हम
पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा
हो गया है अतः पुरान को विड्रो
किया जाये। अतः पार्थी के आवेदन
पर पार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा
212 RTI को विड्रो किया जाता है।
पत्रावली कैसल इमारत होकर नवंबर से
कम होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी, दांतरामगढ